

शे 5446/आ-व-2018  
27-7-18

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1  
संख्या 948(U)/आठ-1-18-44विविध/18  
लखनऊ : दिनांक : 26 जुलाई, 2018

### कार्यालय ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-152/9-आ-1-1998, दिनांक 15.01.1998 के अधीन विकास प्राधिकरणों की कुछ स्रोतों से आय के निर्धारित अंश को एक अलग बैंक खाते जो आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु निहित है, में जमा किए जाने की व्यवस्था है। परन्तु उस खाते में जिस क्षेत्र/कालोनी से शुल्क (विशेष कर विकास शुल्क) जमा किया जा रहा है उसका उसी क्षेत्र/कालोनी विशेष में उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-152/9-आ-1-1998, दिनांक 15.01.1998 के जारी होने के पश्चात शासन द्वारा क्रय-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क का निर्धारण किया गया है तथा विकास शुल्क, नगरीय विकास प्रभार एवं भू-उपयोग परिवर्तन प्रभार नियमावलियां प्रख्यापित की गई हैं, जिनके प्राविधानों के दृष्टिगत उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.01.1998 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-152/9-आ-1-1998, दिनांक 15.01.1998 को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निम्न निर्देश देते हैं:-

2.1 विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को प्राधिकरण के सामान्य पूल में न डालकर निम्नानुसार दो अलग-अलग बैंक खातों में जमा किया जाएगा:-

#### (क) नगर स्तरीय अवस्थापना विकास खाता

- (1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (नगरीय विकास प्रभार का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली, 2014 के अधीन नगरीय विकास प्रभार के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत अंश।
- (2) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में प्राप्त होनी वाली धनराशि का शत-प्रतिशत अंश।
- (3) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 के अधीन अनाधिकृत निर्माण के शमन से शमन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश तथा शेष 50 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।

- (4) विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड किए जाने से प्राप्त होने वाली आय का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।
- (5) विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/सृजित सम्पत्तियों के विक्रय-विलेख के निबन्धन से प्राप्त होने वाली आय का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।

**(ख) क्षेत्रीय अवस्थापना विकास खाता**

- (1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के अधीन विकास शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का शत प्रतिशत अंश।
- (2) अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।
- (3) कय-योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।

2.2 नगर स्तरीय एवं क्षेत्रीय अवस्थापना विकास खाते में से प्रत्येक वर्ष 80 प्रतिशत पूंजीगत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत राजस्व व्यय किया जा सकेगा। उक्त खातों में से पूंजीगत व्यय निम्न समितियों के अनुमोदन से किया जाएगा:-

- (1) नगर स्तरीय अवस्थापना विकास खाते में से नगर की सामान्य अवस्थापना सुविधाओं के सम्बर्द्धन/विस्तार हेतु सम्बंधित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति, जिसमें जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त/अधिशारी अधिकारी तथा जल निगम के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, के अनुमोदन से व्यय किया जाएगा।

(ख) क्षेत्रीय अवस्थापना विकास खाते में से सम्बंधित क्षेत्र/कालोनी के विकास कार्य हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें नगर आयुक्त/अधिशारी अधिकारी, प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता/प्रभारी अभियंत्रण तथा जल निगम के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, के अनुमोदन से व्यय किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का ब्योरा अलग से रखा जाएगा और इस मद में प्राप्त होने वाली आय को उसी कालोनी में व्यय किया जाएगा, जिससे वह आय प्राप्त हो रही है।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सुसंगत शासनादेश तत्सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

4. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

**नितिन रमेश गोकर्ण**  
प्रमुख सचिव


**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।

2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
8. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
9. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक (प्रशासन) आवास बन्धु, उ.प्र. लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(राजेश कुमार पाण्डेय)  
विशेष सचिव